(103)

संख्या–1391/XLI-1/11-142/11

प्रेषक,

एस. राजू
प्रमुख सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, श्रीनगर।
2. निदेशक, प्रशिक्षण विभाग, हल्द्वानी।
3. कुलसचिव, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून।
4. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, रूडकी।
5. अधिष्ठाता, प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, पन्तनगर।
6. प्राचार्य, जी.बी.पी.ई.सी., घुडदौडी, पौडी।
7. निदेशक, वि.त्रि. कुमायूं प्रौद्योगिकी संस्थान, द्वाराहाट, अल्मोडा।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग देहरादून दिनांक 13 जनवरी, 2012

विषयः–स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उत्तराधिकारियों के परिचय पत्र को तकनीकी शिक्षण संस्थानों में क्षैतिज आरक्षण की सुविधा हेतु प्रमाण पत्र के रूप में मान्यता दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 1269/XXX(2)/2010 दिनांक 09 सितम्बर, 2010 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश में दिये गये निर्देशानुसार प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत समस्त तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उत्तराधिकारियों को जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी परिचय पत्रों को क्षैतिज आरक्षण की सुविधा हेतु प्रमाण पत्र के रूप में मान्य कर लिया जाय। इस हेतु पृथक से प्रमाण–पत्र निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

2– कृपया उक्तानुसार व्यवस्था सुनिश्चित कराते हुए शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(एस. राजू)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांकः तदैव।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, कुलाधिपति, उत्तराखण्ड।
3. मण्डलायुक्त, गढवाल/कुमायूं।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेश बगौली)
अपर सचिव।

D:\D Punetha\LATTER\Dercted latter.docD:\D Punetha\LATTER\Dercted latter.doc
782